न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी बीना महावर आर.ए.एस.)

अपील संख्या 06 / 2019

विजय पुत्र बाबू (हवलदार विजय सिह न0 13697663 के भारतीय थल सेना) जाति जाटव निवासी ग्रांम दमदमा तहसील बयाना जिला भरतपुर हाल तैनात ओ0सी0जी0कम्पनी 2 कार्डस ग्रेनेडिर्यस

..........अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये क्षेत्रिय वन अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,भरतपुर दिनांक 14.11.2018

उपस्थित :–
1–श्री प्रताप सिंह अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 29.10.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील वखिलाफ रेस्पो पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,भरतपुर के आदेश दिनांक 14.11.2018 के खिलाफ पेश की गई है। पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,भरतपुर ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 991 में किये अवैध निर्माण से बेदखल किये जाने एवं शास्ति कायम किये जाने आज्ञा दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर का रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक,भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा दिये गये जबाब एवं उसके साथ पेश किये मकान के पट्‌टे वगे0 पर कोई गौर नही

........2

अतिरिक्त जिला कलक्टर

किया गया है। अपीलान्ट के विवादित मकान के चारों तरफ करीब 70 मकानात बने हुये हैं। आबादी के मध्य अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। आपसी रंजिस की बजह से शिकायत कर वन विभाग से यह कार्यवाही कराई गई है। तहत न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के खिलाफ होने खारिज की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल वगे. लेकर जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि उसने अपील की देरी को माफ करने के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अतः देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने वन विभाग खसरा नम्बर 991 पहाड़ 'अ' की भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने विधित कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्मी को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं शास्ती कायम किये जाने की सही आज्ञा पारित की है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी वन खण्ड बयाना पहाड़ "अ" के खसरा नम्बर 991 की वन भूमि है जो कि वह वन खण्ड राज्यसरकार की विज्ञाप्ति सं0 12 दिनांक 1969 के द्वारा रक्षित वनक्षेत्र घोषित हो चुका है। अपीलान्ट ने वन विभाग की विवादित आराजी पर मकानात बनाकर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट अतिक्मी के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये विधिवत आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलानट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सुना गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भरतपुर